न्यायालयः– अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा, जिला–बालोतरा (राज.)

पीठासीन अधिकारी	:	**भावना मकवाना, R.J.S.**
नम्बरी फौजदारी प्रकरण संख्या	:	26/2021
सी.आई.एस. नंबर	:	26/2021
सी.एन.आर. नंबर	:	RJBA020000412021
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	:	289/2020
पुलिस थाना	:	**बालोतरा**

राजस्थान सरकार

––– अभियोगी

–: बनाम :–

राजूनाथ पुत्र केसनाथ, निवासी आदर्श विद्या मंदिर के सामने, जसोल, बालोतरा ।

––– अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 457, 380 भारतीय दंड संहिता

उपस्थितिः–

1 विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी वास्ते राज्य सरकार।

2 विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णपाल महेचा वास्ते अभियुक्त।

Date of Offence	11.06.2020
Date of FIR	25.06.2020
Date of Cognizance	07.01.2021
Date of Framing of Charges	15.05.2025
Date of commencement of evidence	30.06.2025
Statement u/s 313 Cr.P.C. Recorded on	19.06.2026
Arguments heard on	04.08.2026
Date of the Judgment	04.08.2026

:: निर्णय :: **दिनांकः– 04.08.2026**

1. हस्तगत प्रकरण का उद्भव दिनांक 25.06.2020 को तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना बालोतरा में पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 289/2020 अंतर्गत धारा 457, 380 भारतीय दंड संहिता व जिसके अनुसंधान उपरांत दिनांक 07.01.2021 को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं. 01 बालोतरा के समक्ष धारा 457, 380 भारतीय दंड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध का अभियोग पत्र प्रस्तुत किए जाने पर उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिए जाने से हुआ। कालान्तर में उक्त प्रकरण न्यायालय हाजा को प्राप्त हुआ।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि एक तहरीरी रिपोर्ट परिवादी सतार खां ने

पुलिस थाना बालोतरा में इस आशय की पेश की कि उसका आवासीय मकान वार्ड नंबर 01 जैरला रोड़ बालोतरा में आया हुआ है जहां पर वह मय परिवार निवास करता है। वे परिवार के सदस्य हमेशा की भांति दिनांक 11.06.2020 को रात्रि में 10.00 बजे के करीबन खाना खाकर मकान की बाण्डरी में लगे दरवाजे का अंदर से कुंडी लगा कर कमरे का लॉक लगा कर सभी सदस्य मकान की छत पर सो गये। दिनांक 12.06.2020 को सुबह लगभग 06.30 बजे उठे तो देखा कि उसके कमरों का लॉक टूटा हुआ था व अंदर रखी तिजोरी का ताला टूटा हुआ था तथा अंदर रखे सारे कपड़े वगैरा अस्त व्यस्त थे, उसने व उसके परिवार के सदस्यों ने देखा तो तिजोरी में रखे रूपये 30,000/– नहीं थे तथा सोने के टोपस कानों के, चांदी की चूड़ियां, अंगुठियां, छड़े, बिछुड़ियां व छोटा मोटा चांदी का गहना करीबन 500 ग्राम वजनी के नहीं थे। उक्त गहने व रोकड़ रूपये रात्रि में कोई चोर मकान में घुस कर चोरी कर ले गया है। उसने व परिवार के सदस्य व आस पडोस के लोग साबु खां पुत्र सलीम खां, निवासी बालोतरा व अन्य ने खोज बीन की तो चोर के पांवों के निशान दीवार के पास मौजूद है जिनको उसने ढांक दिये है। मौके पर पधार कर मौका मुलाजा सोने चांदी का गहना बरामद कर कार्यवाही कर सजा दिलाने की कृपा फरमावे व उसकी चोरी किये गये रूपये दिलावे व चोर के विरूद्ध सख्त कानूनी करावे इत्यादि...।

3. उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 25.06.2020 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई जिस पर प्रस्तुत आरोप–पत्र के आधार पर दिनांक 07.01.2021 को प्रसंज्ञान लिया गया ।

4. अभियुक्त को न्यायालय द्वारा धारा 457,380 भारतीय दंड संहिता के अपराध का आरोप सारांश पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिसे सुन–सुमझकर अभियुक्त द्वारा अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित गवाह पेश कर साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गईः–

Rank	Name	Nature of evidence
PW. 1	सतार खां	शिकायतकर्ता
PW. 2	नूरे खां	नक्शा मौका
PW. 3	जीताराम	गिरफ्तारी साक्ष्य
PW. 4	जगदीश प्रसाद	फर्द घटनास्थल तस्दीक साक्ष्य
PW. 5	शैतान सिंह	अन्वेषण अधिकारी

6. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य निम्न दस्तावेजात को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया है:–

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1	प्रदर्श पी–1	मूल रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी–2	नक्शा मौका
3	प्रदर्श पी–3	फर्द जब्ती
4	प्रदर्श पी–4	फर्द बरामदगीस्थल नक्शा नजरी
5	प्रदर्श पी–4 ए	फर्द सुपुर्दगीनामा
6	प्रदर्श पी–5	फर्द गिरफ्तारी
7	प्रदर्श पी–6	फर्द तस्दीक घटनास्थल
8	प्रदर्श पी–7	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला

सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा सहवन से फर्द बरामदगीस्थल नक्शा नजरी एवं फर्द सुपुर्दगीनामा को प्रदर्श पी. 04 प्रदर्शित करवा दिया गया जिसे अब क्रमशः प्रदर्श पी. 04 व पी. 04 ए के रुप में पढा जावेगा ।

7. तत्पश्चात अभियुक्त के कथन अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. के प्रावधानानुसार लेखबद्ध किए, जिसमें अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया एवं स्वयं के निर्दोष होने एवं झूठा फंसाया जाने और उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किये जाने का कथन किया गया ।

8. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु है कि:–

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 11.06.2020 को रात्रि लगभग 10.00 बजे के पश्चात किसी समय सरहद वार्ड नं. 01 जेरला रोड़ बालोतरा में परिवादी सतार खां के आवासीय मकान की कुंडी खोलकर कमरे पर लगे लॉक को तोड़कर अंदर रखी तिजोरी में रखे सोने के कानों के टॉप्स, चांदी की चूडिया, अंगुठियां, छड़े, बिछुडियो व छोटा–मोटा चांदी का गहनों के साथ–साथ रोकड़ 30,000/– को चोरी करने की नीयत से अनाधिकृत प्रवेश कर रात्रि गृह भेदन कर उक्त गहनों तथा रोकड़ रुपयों को परिवादी की सम्मति के बिना बेईमानीपूर्वक आशय से हटाकर ले जाकर चोरी कारित की ?

2. यदि हाँ, तो उपयुक्त दण्ड क्या होगा?

9. उपरोक्त विचारणीय बिन्दू के संबन्ध में बहस अंतिम उभय पक्ष की सुनी गई । दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिये कि चोरी के प्रकरण में अभियोजन पक्ष को

बरामदगी साबित करनी होती है जो कि अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे साबित की है। बरामदगी स्वयं प्रार्थी के समक्ष अभियुक्त के बताए गए स्थान से हुई है जिससे बरामदगी के संबंध में कोई संदेह नहीं रह जाता है । पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य सामग्री एवं अभियोजन साक्षीगण के कथनों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषिसद्ध घोषित किया जाकर अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

10. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किए गए कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। परिवादी द्वारा अपने बयानों में जाहिर किया गया है कि फर्दों पर उसके हस्ताक्षर थाने में करवाए गए थे, गहनों को किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पहचान नहीं करवाई गई हैं। अभियुक्त से बरामदगी में स्वतंत्र गवाह उपस्थित नहीं है । अतः अभियुक्त से बरामदगी संदेह के दायरे में है । परिवादी ने अभियुक्त के पद चिन्हों के निशान के संबंध में कथन किए हैं जिस पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। घटनास्थल आबादी क्षेत्र होने के बावजूद स्वतंत्र गवाहान को परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध आरोप संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

11. उभयपक्षों के तर्कों की रोशनी में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया । बाद अवलोकन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों का विश्लेषण इस प्रकार है कि – विचारणीय बिंदु के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय को सर्वप्रथम यह देखना है कि क्या अभियुक्त ने दिनांक 11.06.2020 को रात्रि लगभग 10 बजे के पश्चात परिवादी सतार खां के आवासीय मकान में चोरी की नीयत से अनाधिकृत प्रवेश कर रात्रि गृह भेदन कर बेईमानीपूर्वक आशय से परिवादी के कमरे के अंदर तिजोरी में रखे गहने और रोकड़ रुपये 30,000/– को उसकी सहमति के बिना ले जाकर चोरी कारित की । इस संबंध में प्रदर्श पी० 01 तहरीरी रिपोर्ट का अवलोकन किया जाए तो परिवादी ने उसके घर में रखी तिजोरी में रखे गहने और रोकड़ रुपये रात्रि में किसी चोर द्वारा मकान में घुसकर चोरी करना बताया है। ऐसे में यह तथ्य प्रकट होता है कि परिवादी या किसी अन्य व्यक्ति ने अभियुक्त को चोरी करते हुए या चोरी करके भागते हुए नहीं देखा । इसलिए न्यायालय के मत में चोरी के प्रकरणों का विनिश्चय परिस्थितिजन्य साक्ष्य व बरामदगी के घटनाक्रम, श्रृंखलाबद्ध साक्ष्य पर ही निर्भर करता है जिसमें दो बातें देखी जानी होती है – 1. चोरी का माल बरामद होना । 2. बरामदगी अभियुक्त के माध्यम से या अभियुक्त से होना ।

12. इस सबंध में पत्रावली का अवलोकन करे तो परिवादी पी०डब्ल्यू० 01 जिसने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 11.06.2020 को रात्रि 10 बजे उसके परिवारवाले घर के अंदर कमरे का लॉक करके मकान की छत पर सो रहे थे । दिनांक 12.06.2020 की सुबह 06.30 ए०एम० पर उठे तो उन्होंने देखा कि उसके मकान के कमरे के लॉक टूटे हुए थे, कमरे के अंदर रखी तिजोरी का ताला भी टूटा हआ था, तिजोरी में रखी हुई चांदी की चूडियां, अंगुठी, छड़े व बिछुडियां व अन्य चांदी के गहने करीब 500 ग्राम, तिजोरी में रखे हुए 30,000/– रुपये, सोने के टॉप्स गायब थे जिन्हें कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया और उनके द्वारा आस–पास पूछताछ की लेकिन चोर नहीं मिला । चोर के पांव के निशान उनकी घर की दीवार पर मौजूद थे जिसे उसने ढक दिया था । घटना की सूचना पुलिस थाना बालोतरा में दी गई जो प्रदर्श पी० 01 है । पुलिस ने उसके रुबरु घटनास्थल का नक्शा मौका मुर्तिब किया जो प्रदर्श पी० 02 है । पुलिस ने उसके रुबरु राजूनाथ के कब्जे से कानों की मछियों की दो जोड़ी, मंगलसूत्र, पैरो की बिछुडियां दो जोड़ी, हाथों के भुजबंद दो जोड़ी फर्द जब्ती प्रदर्श पी० 03 बरामद की। मुलजिम द्वारा उसके घर से चोरी किए गए चांदी के आभूषण को उसके द्वारा जरिए फर्द सुपुर्दगीनामा प्रदर्श पी० 04ए प्राप्त कर लिया गया । नक्शा मौका प्रदर्श पी० 04 उसके सामने मुर्तिब किया गया। **दौराने जिरह** गवाह ने कथन किया है कि वह राजूनाथ को नहीं जानता, बरामदगी उसके सामने थाने में हुई थी, खाली पेपर पर उसके हस्ताक्षर करवाए गए थे, रुपयों की बरामदगी नहीं हुई, केवल चांदी की बरामदगी हुई थी । गवाह ने इस बात को स्वीकार किया है कि चांदी के जेवरात किसी के घर में भी मिल सकते हैं तथा इस बात को अस्वीकार किया है कि वह झूठे बयान दे रहा है । इस संबंध में यदि प्रदर्श पी० 03 फर्द बरामदगी का अवलोकन किया जाए तो फर्द में गवाह द्वारा दिए गए बयानों के कथनानुसार जेवरात की बरामदगी का विवरण है जिस पर परिवादी तथा मुलजिम के हस्ताक्षर है । प्रदर्श पी० 03 के अनुसार केवल चांदी के गहनों की बरामदगी हुई है। प्रदर्श पी० 04ए सुपुर्दगीनामा पर भी परिवादी के हस्ताक्षर है जिससे पी०डब्ल्यू० 01 के कथनों की ताईद होती है । प्रदर्श पी० 07 इत्तला अंतर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम पर मुलजिम राजूनाथ के हस्ताक्षर है जिससे प्रकट होता है कि इत्तला स्वेच्छा से दी गई थी । अभियुक्त द्वारा इत्तला में बताए गए स्थान से चांदी के गहनों की बरामदगी भी हुई है जो प्रदर्श पी० 04 है जिस पर परिवादी मुलजिम तथा अनुसंधान अधिकारी के हस्ताक्षर है ।

13. प्रकरण में अन्य गवाह पी०डब्ल्यू० 04 नूरे खां है जो कि नक्शा मौका का साक्षी है । गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किए हैं कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है । उसने चोरी होते हुए नहीं देखी, पुलिस ने उसके सामने कोई नक्शा मौका मुर्तिब नहीं किया । नक्शा मौका प्रदर्श पी० 02 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है । अभियोजन अधिकारी द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया परंतु

दौराने जिरह गवाह ने यह स्वीकार किया है कि दिनांक 26.06.2020 को पुलिस घटनास्थल जेरला रोड़ आई थी, उसके सामने घटनास्थल का नक्शा मौका मुर्तिब किया था । नक्शा मौका बनाते समय उसके साथ अल्लाबक्श भी मौजूद था। हालांकि मुलजिम अधिवक्ता द्वारा जिरह में गवाह यह स्वीकार करता है कि वह थाने में ही गया था जहां उसके हस्ताक्षर करवाए थे तथा प्रदर्श पी० 02 नक्शा मौका का अवलोकन किया जाए तो उस पर नूरे खां व अल्लाबक्श के हस्ताक्षर मौजूद है जिससे गवाह के नक्शा मौका मुर्तिब करने के बयानों की ताईद होती है । गवाह द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि घटनास्थल का नक्शा मौका उसके सामने मुर्तिब किया गया था और वहां अल्लाबक्श भी मौजूद था ।

14. पी०डब्ल्यू० 03 जीताराम गिरफ्तारी का गवाह है जो अपने मुख्य परीक्षण में उसके रुबरु अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुलजिम को उपकारागार बालोतरा से जरिए फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी० 05 गिरफ्तार करने तथा मुलजिम राजूनाथ की निशानदेही पर उसके रुबरु घटनास्थल तस्दीक मौका जो कि प्रदर्श पी० 06 है करने का कथन करता है । **दौराने जिरह** गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि उसके प्रदर्श पी० 05 व 06 पर अनुसंधान अधिकारी के कहने से हस्ताक्षर किए हैं और वह अनुसंधान अधिकारी के अधीनस्थ होने से मुलजिम को फंसाने के लिए झूठे बयान दे रहा है ।

15. पी०डब्ल्यू० 04 जगदीश प्रसाद द्वारा घटनास्थल को तस्दीक कर फर्द बरामदगी प्रदर्श पी० 06 पर हस्ताक्षर करना स्वीकार किया गया है।

16. प्रकरण का अनुसंधान साक्षी पी०डब्ल्यू० 05 शैतान सिंह है जो अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 25.06.2020 को थानाधिकारी निरंजन प्रताप द्वारा मुकदमा 289/2020 अंतर्गत धारा 457, 380 भा०दं०सं० की तफ्तीश उसके हवाले किए जाने पर मुकदमा हाजा में घटनास्थल तस्दीक कर नक्शा मौका मुर्तिब कर मुलजिम की गिरफ्तारी कर गवाहों के बयान लेखबद्ध कर संपूर्ण अनुसंधान कर अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धारओं में आरोप–पत्र पेश करने का कथन करता है। **दौराने जिरह** गवाह ने यह स्वीकार किया है कि तहरीरी रिपोर्ट दिनांक 12.06.2020 को लिखी गई है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 25.06.2020 को लिखवाई गई है । घटना थाने से ढाई किलोमीटर दूर ही घटित हुई है । प्रदर्श पी० 01 भी नामजद नहीं है । उसने मौका दिनांक 26.06.2020 को शाम 06.30 बजे देखा था । जो जेवरात उन्होंने बरामद किए वैसे के वैसे जेवरात किसी मजिस्ट्रेट के सामने मुस्तगीस ने पहचान नहीं किए थे। जैर हिरासत अभियुक्त राजूनाथ ने उसके सामने ही इत्तला दी थी वहां और कोई उपस्थित नहीं था । इत्तला राजूनाथ की भाषा में ही लिखाई गई । प्रदर्श पी० 05 के दोनों मौतबिर पुलिस कर्मचारी थे । प्रदर्श पी० 07 के मौतबिर को रखने से पूर्व उनकी कोई लिखित सहमति नहीं दी गई थी । राजूनाथ के कब्जशुदा पड़वे का कोई दस्तावेज उसने अपनी तफ्तीश में नहीं लिया था तथा बरामदशुदा जेवरात बाजार में कहीं भी मिल सकते हैं । गवाह ने इस बात को अस्वीकार किया है कि

घटना घटित होने के वक्त वह वाका स्थल पर गया हो और उसने पहले ही मौका देखकर मुस्तगीस को कहा हो कि हम मुलजिम का पता कर रहे हैं बाद में एफ०आई०आर० दर्ज करवा दी जावेगी । गवाह ने इस बात को अस्वीकार किया है कि उसने झूठी तफ्तीश की हो और मुलजिम को फंसाया हो ।

17. इस संबंध में संपूर्ण साक्ष्यों का अवलोकन करे तो यह प्रकट होता है कि हालांकि चोरी के अपराध का कोई चक्षुदर्शी साक्ष्य नहीं है किंतु प्रकरण में चोरीशुदा कुछ सामान अभियुक्त द्वारा दी गई इत्तलानुसार उसके द्वारा बताए गए स्थान से बरामद हआ है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पत्रावली में मुलजिम राजूनाथ का पता आदर्श विद्या मंदिर के सामने, जसोल दर्शित है तथा फर्द बरामदगी स्थल भी आदर्श विद्या मंदिर जसोल के सामने गली में स्थित है तथा बरामदगी प्रदर्श पी० 03 इत्तला अंतर्गत धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम फर्द में अंकित X स्थान से जमीन में खड्डा खोदकर की गई है जिससे न्यायालय यह भी उपधारणा करने में सक्षम है कि उक्त स्थान मात्र परिवादी अभियुक्त की जानकारी में ही था। फर्द बरामदगी प्रदर्श पी० 04 व फर्द जब्ती प्रदर्श पी० 03 पर पी०डब्ल्यू० 01 परिवादी, अभियुक्त एवं अनुसंधान अधिकारी की उपस्थिति में मुर्तिब होना दर्शित है। परिवादी पी०डब्ल्यू० 01 ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि बरामदगी उसके समक्ष अभियुक्त से की गई थी जिसे उसके द्वारा जरिए सुपुर्दगी प्राप्त किया गया था रोकड़ रुपयों की बरामदगी नहीं हुई । जहां तक प्रथम सूचना रिपोर्ट का 14 दिन बाद रजिस्टर्ड होने का प्रश्न है तो इस संबंध में कोई जिरह परिवादी से नहीं की गई है। परिवादी ने स्वयं तहरीरी रिपोर्ट में जाहिर किया कि उसके व उसके परिवार व आस–पड़ोस के लोगों ने चोर की छानबीन की थी। अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि अभियुक्त से बरामदगी, गहनों की शिनाख्तगी किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं करवाई गई परंतु पत्रावली अवलोकन से जाहिर आता है कि अभियुक्त से बरामद गहने परिवादी को न्यायालय द्वारा सुपुर्द किए गए हैं। अभियुक्त द्वारा उक्त् गहनों के स्वामित्व बाबत कोई प्रश्न उठाया गया हो तो ऐसे तथ्य भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिससे प्रथमदृष्टया यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त से बरामद गहने परिवादी के ही थे। अभियुक्त अधिवक्ता का तर्क रहा कि परिवादी द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह कथन किए गए हैं कि परिवादी आस–पड़ोस के लोग व अन्य से खोजबीन की तो चोर के पांवों के निशान दीवार के पास मौजूद हैं जिसे उसने ढक दिया है परंतु इस संबंध में अनुसंधान अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की । इस संबंध में प्रदर्श पी० 02 घटनास्थल का नक्शा मौका का अवलोकन करें तो दर्शित होता है कि घटनास्थल पर घटना पुरानी होने से कोई पद चिन्ह नजर नहीं आ रहे हैं तथा मोहल्ले में कोई सी०सी०टी०वी० कैमरे नहीं लगे हुए हैं इस बाबत अंकन किया गया है । इसके अतिरिक्त अभियुक्त अधिवक्ता का यह तर्क है कि घटनास्थल आबादी होने के पश्चात भी स्वतंत्र गवाहान को परीक्षित नहीं करवाया तो इस संबंध में न्यायालय का यह मत है कि केवल स्वतंत्र मौतबिर नहीं होने के कारण अभियुक्त को इसका लाभ नहीं दिया

जा सकता जब तक कि औपचारिक गवाहों की साक्ष्यों में अन्यथा गंभीर विरोधाभास न हो । क्योंकि आम तौर पर सामान्यजन पुलिस तथा कोर्ट कचहरी की कार्यवाही में पड़ने से कतराते हैं जिस कारण केवल स्वतंत्र मौतबिर नहीं होने की स्थिति में बरामदगी की कार्यवाही पर संदेह नहीं माना जा सकता ।

18. अतः चोरी की घटना में चक्षुदर्शी साक्ष्य मौजूद नहीं होने से बरामदगी की कार्यवाही संदेह से परे प्रमाणित होना आवश्यक है जो कि हस्तगत प्रकरण में गवाहान के बयानों व उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के समग्र अवलोकन से पूर्णतया प्रमाणित है। हस्तगत प्रकरण में नक्शा मौका पर हस्ताक्षर के संबंध में आया आंशिक विरोधाभास महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि बरामदगी की कार्यवाही के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से पत्रावली पर श्रृंखलाबद्ध साक्ष्य पेश की गई है । प्रकरण में बरामदगी स्वयं परिवादी की उपस्थिति में अभियुक्त द्वारा दी गई इत्तलानुसार की गई। साथ ही ऐसी स्थिति में धारा 114 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत चोरी के पश्चात अभियुक्त के कब्जे से बरामद होने के कारण न्यायालय यह उपधारणा करने में सक्षम है कि उक्त चोरी अभियुक्त द्वारा ही की गई है। ऐसे में उपरोक्त विवेचनानुसार पत्रावली पर मौजूद समस्त साक्ष्यों से अभियुक्त राजूनाथ के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है । अतः अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 457, 380 भा०दं०सं० में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

:: आदेश ::

19. परिणामस्वरूप अभियुक्त राजूनाथ पुत्र केसनाथ, निवासी आदर्श विद्या मंदिर के सामने, जसोल, बालोतरा को आरोपित अपराध धारा 457, 380 भा०दं०सं० के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(भावना मकवाना)
अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बालोतरा, जिला बालोतरा

–:सजा के बिन्दू पर:–

20. सजा के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि अभियुक्त लम्बी अवधि से अन्वीक्षा भुगत रहा है। अतः अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख अपनाते हुए उसे परिवीक्षा का लाभ दिया जाकर परिवीक्षा पर छोड़े जाने का निवेदन किया।

21. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की ओर से उक्त तर्कों का विरोध करते हुए अभियुक्त को दोषसिद्ध अपराध में अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की।

22. उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। अभियुक्त के विरुद्व आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 457, 380 भा०दं०सं० के अपराध के लिए दोषसिद्ध पाया गया है, अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है । अपराध घटित करने का तरीका समाज में ऐसे अपराधों के बढ़ते दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त के प्रति उदार दृष्टिकोण्ण रखते हुए परीवीक्षा का लाभ प्रदान करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अभियुक्त को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::दण्डादेश::

23. परिणामस्वरूप राजूनाथ पुत्र केसनाथ, निवासी आदर्श विद्या मंदिर के सामने, जसोल, बालोतरा को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में दोषसिद्ध करार दिया जाता है व अभियुक्त को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाता है:–

- अपराध अन्तर्गत धारा 457 भारतीय दण्ड संहिता की दोषसिद्धी में 02 वर्ष का साधारण कारावास और 1,000/– रूपये अर्थदण्ड व अदम अदायगी अर्थदण्ड 20 दिन का साधारण कारावास मूल सजा के अतिरिक्त से दण्डित किया जाता है।

- अपराध अन्तर्गत धारा 380 भारतीय दण्ड संहिता की दोषसिद्धी में 02 वर्ष का साधारण कारावास और 2,000/– रूपये अर्थदण्ड व अदम अदायगी अर्थदण्ड 20 दिवस का साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है।

- अभियुक्त के नियमित उपस्थित बाबत् पूर्व में पेश किए गए जमानत मुचलकें यदि कोई हो तो निरस्त किए जाते है।

- अभियुक्त द्वारा प्रकरण में जांच विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि दण्डादिष्ट सजा में अन्तर्गत धारा 428 द0प्र0सं0 मुजरा की जाएगी।

- सभी सजाएं साथ–साथ चलेंगी ।

- नियमानुसार सजा वारण्ट बनाया जाए।

➢ आदेश की प्रति अधिवक्ता अभियुक्त को निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।

(भावना मकवाना)
अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बालोतरा, जिला बालोतरा

24. यह निर्णय/दण्डादेश आज दिनांक 04.08.2026 को लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर व मुद्रा न्यायालय सरे इजलास सुनाया गया।

(भावना मकवाना)
अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बालोतरा, जिला बालोतरा